WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072023-247484
CG-DL-E-20072023-247484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 506] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2023/आषाढ़ 29, 1945
No. 506] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2023/ASHADHA 29, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2023

आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.102.॥भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (13) के खंड (ङ) और धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) और (च) तथा धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (कक), (ग) और खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 31क के उप-विनियम (1) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण**: शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के अधीन विनियामक फीस ऐसे मामलों में संदेय नहीं होगी जहां किसी भू-संपदा परियोजना के दिवाला समाधान की बाबत अनुमोदित समाधान योजना, ऐसी भू-संपदा परियोजना में आबंटितियों के किसी संगम या समूह की ओर से है ।"

रवि मित्तल,अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./294/2023-24]

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 461, तारीख 20 सितम्बर, 2022 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.096, तारीख 20 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2023

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2023

No. IBBI/2023-24/GN/REG102.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (13) of section 5, and clause (a) and (f) of sub-section (2) of section 30, and clauses (aa), (c) and (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, in regulation 31A, in sub-regulation (1), after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"*Explanation*: For removal of doubts, it is hereby clarified that the regulatory fee under this sub-regulation, shall not be payable in cases where the approved resolution plan in respect of insolvency resolution of a real estate project is from an association or group of allottees in such real estate project."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./294/2023-24]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 published *vide* Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG096, dated the 20th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.461 on 20th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.